उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-11/2016/36/22-4-16-41जी/09

लखनऊ : दिनांक- 03 जनवरी,2016

कार्यालय-ज्ञाप

राजपत्र दिनांक 28.01.2015 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-115/22-4-15-80(2)/2000 की (250 हिन्दी प्रतियाँ एवं 250 अंग्रेजी प्रतियाँ) इस प्रकार कुल 500 प्रतियां मुद्रित कराये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग, लखनऊ के बीजक संख्या-668/15, दिनांक 09.07.2015 रू0 5,546/- (पॉच हजार पॉच सौ छियालिस मात्र) का भुगतान करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-78 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय के मानक मद 18-प्रकाशन " के नामे डाला जायेगा।

एस0के0 रघुवंशी

सचिव।

संख्या-11/2016/36/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार प्रथम, कम्पाइलेशन सेक्शन, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग लखनऊ को उनके पत्र संख्या- 723/ले0मु0/15-16, दिनांक 20.11.2015 के संदर्भ में।

(4) गृह(पुलिस) अनुभाग-8, लेखा कोष्ठक, उ0प्र0 शासन को दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त धनराशि का आहरण कर संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग, लखनऊ को भुगतान करने का कष्ट करें तथा प्राप्त रसीद की एक फोटो प्रति कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(5) सचिवालय प्रशासन (लेखा) बजट सेल अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

(6) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in